अजमेर
303/16/1225 श्रीमती कमला बनाम श्रीमती सुमाली

तारीख पेशी	2016/00303 बनाम रेस्पो. 2 व 3 अनु हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अजीतसिंह राठौड़ श्री एन.एम. राजावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.2.20	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 05 की दिनांक 20.01.2020 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट श्रीमती कमला का दिनांक 06.03.2019 को स्वर्गवास हो चुका है। जिसकी कायममुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद तैयार करवा दिया गया था लेकिन दिनांक 05 एवं 06 जून 2019 को अवकाश होने के कारण अभिभाषक के अधीनस्थ स्टाफ द्वारा दिनांक 0706.2019 को प्रस्तुत किया है जिसमें कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में दो योम की देरी हुई है, जिसे क्षमा फरमा कर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जावे। यदि न्यायालय हाजा उक्त अपील को अबेट होना माने तो उपरोक्त कारणों से अबेटमेन्ट सेटअसाईट फरमावें। श्रीमती कमला के विधिक वारिसान क्रमशःश्रीमती नारायणी पुत्री खेमसिंह पत्नि जयसिंह जाति रावत निवासी हाथीखेड़ा तहसील व जिला अजमेर हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नही है एवं उक्त वारिसान को मृतक का राईट टू स्यू सरवाईव करता है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक अपीलांट श्रीमती कमला का नाम रिकार्ड से हजफ कर उसके स्थान पर उपरोक्त वर्णित वारिस को रिकार्ड पर लेने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत् स्वीकृत तिथि के अनुसार प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2019 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निर्धारित 90 दिवस के अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। जिस देरी की क्षमा हेतु अन्तर्गत धारा 5 परीसीमा अधिनियम के तहत् किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही अबेटमेन्ट को निरस्त करवाये जाने हेतु आदेश 22 नियम 09 जा.दी. के तहत् कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्वीकृत अभिवचनों के तहत् मूल प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने से अपील स्वतः ही अबेट हो जाने कारण निरस्त फरवाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.बी.जे.(II) 2004, ए.आई.आर. 1985(सुप्रीम कोर्ट) पेज 606 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र व अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक मात्र अपीलांट श्रीमती कमला की मृत्यु की जानकारी अभिभाषक अपीलांट को होते हुए भी मृतक के कामय मुकाम की कार्यवाही समयावधि में नहीं की गई है तथा इसके पश्चात् भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. को	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजमेर
303/16/225 श्रीमती कमला बनाम श्रीमती [illegible]

तारीख पेशी	2016/03303 बनाम रेस्पो. हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री [illegible] श्री [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	पेश किया है किन्तु अपीलांट द्वारा अबैटमेन्ट सेट–असाईट करने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 6 जा.दी. व मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि कानूनन अबैटमेन्ट सेट असाईट की कार्यवाही समयावधि में नहीं किये जाने से अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. एवं अपील भी उपशमन हो जाने से खारीज की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. की बहस सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 धारा 151 जा.दी. सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. की बहस सुनने के पश्चात(दौराने आदेश) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 धारा 151 जा.दी. सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया है चुँकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. पर आदेश सुनाये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	[illegible]

[redacted]